<u>न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट, सांभरलेक जिला जयपुर</u>
पीठासीन अधिकारी – श्वेता मीना, आर0जे0एस0

पीठासीन अधिकारी	::	**श्वेता मीना, आर.जे.एस.**
फौजदारी प्रकरण संख्या	::	24/2026
एन.सी.वी. संख्या	::	34/2026
सी.एन.आर. संख्या	::	RJJD-000052-2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	::	33/2025–26
अपराध अंतर्गत धारा	::	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम पुलिस
थाना	::	आबकारी थाना फुलेरा

परिवादी	राजस्थान सरकार
द्वारा प्रस्तुत	सहायक अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त	गणेश लाल गुर्जर पुत्र श्योजीराम गुर्जर उम्र 43 साल निवासी ढाणी गुर्जरों की ग्राम पीथ्यावास पीएस नरैना जिला जयपुर
अभियुक्त अधिवक्ता	अधिवक्ता श्री झाबरमल चौधरी, अभियुक्त की ओर से। सहायक अभियोजन अभियोजक, राज्य की ओर से।

ख

अपराध की दिनांक	22.10.2025
एफ.आई.आर. की दिनांक	22.10.2025
आरोप पत्र की दिनांक	19.01.2026
आरोप विरचना की दिनांक	19.01.2026
साक्ष्य आरम्भ की दिनांक	10.04.2026
दिनांक, जिस पर निर्णय सुरक्षित रखा जाता है	
निर्णय की दिनांक	07.08.2026
दण्डादेश, यदि कोई, की दिनांक	

ग
अभियुक्त विवरण

अभियुक्त का कमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी का दिनांक	जमानत पर रिहाई का दिनांक	आरोपित अपराध	क्या दोष मुक्ति या दोष सिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 के प्रयोजन के लिए परीक्षण के दौरान भुगती निरोध अवधि
1	गणेश लाल गुर्जर	22.10.2025	28.10.2025	19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम	दोष सिद्ध		

भाग–2
अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय गवाह सूची
कः अभियोजन गवाह

क्र.सं.	नाम		साक्ष्य प्रकृति
1	पी0डब्ल्यू 01	रामचंद्र	मुख्य गवाह
2	पी0डब्ल्यू 02	रूपसिंह	मुख्य गवाह

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय प्रदर्शों की सूची
कः अभियोजन दस्तावेज सूची

क्र.सं.	प्रदर्श	विवरण
1.	प्रदर्श पी 01	चाक एफ.आई.आर.
2.	प्रदर्श पी 02	फर्द जप्ती व बरामदगी देशी मदिरा 26 पव्वे
3.	प्रदर्श पी 03	नजरी नक्शा मौका
4.	प्रदर्श पी 04	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर
5.	प्रदर्श पी 05	सैम्पल भेजने की तहरीर
6.	प्रदर्श पी 06	एफएसएल रिपोर्ट
7.	प्रदर्श पी 07	रोजनामचा रपट आमद रवानगी
8.	प्रदर्श पी 08	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति
9	प्रदर्श पी 09	अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर का आपराधिक रिकार्ड

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 07.08.2026

1. इस प्रकरण का उद्भव पुलिस थाना आबकारी निरोधक दल, फुलेरा, जिला जयपुर की ओर से अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के विरुद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम का न्यायालय में पेश करने पर हुआ, जिसका एतद्द्वारा निस्तारण किया जा रहा है।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 22.10.2025 को प्रहराधिकारी रामचन्द्र दौराने गश्त सूचना मिली कि आम कच्चा रास्ता ग्राम पीथ्यावास से ढाणी गुजरों की नजदीक मकान श्योजीराम के सामने शराब का अवैध धंधा कर रहा है। उक्त सूचना विश्वसनीय प्रतीत होने से जाप्ते को अवगत कर उक्त स्थान पर दबिश दी तो एक व्यक्ति एक प्लास्टिक का कट्टा लिए दिखाई दिया। वह व्यक्ति बावर्दी जाप्ते को देखकर ईधर—उधर भागने की फिराक में था, जिसको जाप्ते की मदद से घेरा देकर पकड़ा और उक्त प्लास्टिक के कट्टे के बारें में पूछा तो उसने कट्टे में शराब के पव्वे होना बताया, शराब के बारे में लाईसेंस के बारें में पूछा तो नहीं होना बताया। उक्त प्लास्टिक के कट्टे की चैंकिंग वास्ते आस पास के लोगों व राहगीरों से स्वतंत्र गवाह बनने हेतु आग्रह व आवाज लगाई लेकिन सभी के इंकार करने पर समय का ध्यान रखते हुए हमराह जाप्ते से साथी मुलाजमान रूप सिंह व सुमेर सिंह सिपाही को नियुक्त कर प्लास्टिक के कट्टे को खोला तो उसमें कुल 26 पव्वें राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि0 (RSGSM) देशी मदिरा शराब 40 यूपी 180 एम.एल. से भरे सील बंद अवस्था में फोर सेल इन राजस्थान ऑनली के बरामद हुए। अभियुक्त गणेशलाल गुर्जर के अनन्य कब्जे से सचेतन अवस्था में इतनी मात्रा में अवैध शराब बरामद होना तथा उक्त शराब रखने बाबत लाइसेंस प्राप्त नही होने से जुर्म धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 के तहत दण्डनीय अपराध मानकर बतौर नमूना सैम्पल रेण्डम सिस्टम से एक पव्वा अलग निकाल कर शेष

पव्वे एक तरफ एक कम्पनी के शराब अलग रखकर मार्क ए–1 अंकित किया व शेष 25 पव्वो को उसी प्लास्टिक के कट्टे में डालकर मार्का ए वजह सबूत रखा। दोनो गवाहान के हस्ताक्षरित चिट्टो से सील मोहर कर कब्जा राज लिये मौके की कार्यवाही मौके पर ही पूर्ण कर फर्द पर नमुना सील अंकित की तथा व्यक्ति का नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गणेश लाल गुर्जर पुत्र श्योजीराम गुर्जर निवासी ढाणी गुर्जरों की ग्राम पीथ्यावास पीएस नरैना जिला जयपुर होना बताया। मौके पर अभियुक्त गणेशलाल गुर्जर को गिरफ्तार कर फर्द गिरफ्तारी तैयार कर नमूना सील अंकित की .... आदि।

3. पुलिस थाना आबकारी निरोधक दल फुलेरा पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–1 अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर बाद अनुसंधान अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के विरुद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम में अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दिनांक 19.01.2026 को पेश किया जाने पर न्यायालय द्वारा उसी दिनांक 19.01.2026 को अभियुक्त के विरुद्ध उपरोक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लेकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया।

4. न्यायालय द्वारा दिनांक 19.01.2026 को बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के विरुद्ध धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध का आरोप प्रथम दृष्ट्या बनना मानते हुए अभियुक्त को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाये जाने पर अभियुक्त ने उक्त आरोप सुन व समझ कर आरोपो से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

5. दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0डब्ल्यू0 1 रामचंद्र, पी0डब्ल्यू0 2 रूपसिंह को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी 1 चाक एफआईआर, प्रदर्श पी 2 फर्द जब्ती, प्रदर्श पी 3 नक्शा मौका, प्रदर्श पी 4 फर्द गिरफ्तारी, प्रदर्श पी 5 सैम्पल भेजने की तहरीर, प्रदर्श पी 6 एफएसएल रिपोर्ट, प्रदर्श पी 7 रोजनामचा रपट आमद रवानगी, प्रदर्श पी 8 मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श पी 09 अभियुक्त का आपराधिक रिकार्ड प्रदर्शित करवाये गये।

6. साक्ष्य अभियोजन समाप्त होने के पश्चात अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाहान् ने अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में जो साक्ष्य पेश की, उनसे अभियुक्त को दिनांक 07.08.2026 को धारा 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 313 भारतीय दण्ड संहिता) के तहत परीक्षित करवाया गया। अभियुक्त ने स्वयं के परीक्षण में अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूंठा फंसाया गया है। अभियुक्त ने साक्ष्य सफाई पेश नही करना चाहा। साक्ष्य सफाई पेश करने का अवसर बंद किया गया।

7.1 बहस अंतिम सुनी गई। दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित समस्त गवाह इस तथ्य की ताईद करते हैं कि अभियुक्त के कब्जे से शराब बरामद की गयी थी। जिसको अपने सचैतन्य कब्जे में रखने बाबत अभियुक्त के पास काई भी वैध लाईसेंस उपलब्ध नहीं था। अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान् के कथनों में कोई भी विरोधाभास या विसंगति नहीं है। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किये जाने का निवेदन किया।

7.2 इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्कों का विखण्डन करते हुए कथन किया कि प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र गवाह परीक्षित नहीं हुआ है। प्रकरण में परीक्षित समस्त गवाह पुलिस गवाह है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण के कथनों में विसंगती एवं विरोधाभास प्रकट हुआ है। जबकि यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अभियोजन पक्ष को अपना मामला संदेह से परे साबित किया जाना आवश्यक है। परंतु हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि–

1. क्या दिनांक 22.10.2025 को समय 06:00 पीएम पर आम कच्चा रास्ता ग्राम पीथ्यावास से ढाणी गुर्जरों की श्योजीराम के मकान के नजदीक ग्राम पीथ्यावास पर अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से 26 पव्वे आरएसजीएसएम देशी मदिरा शराब 40 यूपी पेठ 18 एमएल के बरामद किये, जिन्हें अपने पास रखने या परिवहन करने बाबत् कोई वैध अनुज्ञा पत्र या लाईसेंस अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के पास नहीं पाये जाने से धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम का अपराध कारित किया गया ?

2. यदि हाँ तो उचित दण्ड क्या हो ?

9.1 विचारणीय बिन्दुओं के संबंध में पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह दर्शित है कि प्रकरण दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट 33/2025–26 प्रदर्श पी 01 पुलिस थाना आबकारी निरोधक दल फुलेरा पर संस्थित हुआ है तथा अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 02 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है, जो कि निम्न प्रकार है–

9.2 अभियोजन पक्ष की ओर से सर्वप्रथम पी0डब्ल्यू0 1 के रूप में रामचंद्र को परीक्षित करवाया जिसने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 22.10.2025 को पुलिस थाना आबकारी थाना फुलेरा में प्रहराधिकारी के पद पर तैनात था। उस दिन मन प्रहराधिकारी रामचन्द्र मय जाप्ता जीप रेडगश्त करते हुए कच्चे रास्ते ग्राम पीथ्यावास ढ़ाणी गुर्जरों की नजदीक मकान श्योजीराम के यहां पहुंचें तो वहां एक व्यक्ति हाथ में पकड़े प्लास्टिक के कट्टे लिए हुए खड़ा था। बावर्दी जाप्ता देखकर कट्टे को पटटकर वहां से भागने लगा। शक होने पर उस व्यक्ति को मौके पर पकड़ा गया। मौके पर स्वतंत्र गवाह नहीं होने से जाप्ते से गवाह मामूर कर पकड़े हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गणेश लाल पुत्र श्योजीराम निवासी ढ़ाणी गुर्जरों की ग्राम पीथ्यावास थाना नरैना जयपुर का होना बताया। कट्टे को हमने खोलकर हाजराना को देखा तो उसमें देशी मदिरा से भरे कुल 26 पव्वे राजस्थान और गंगानगर शुगर मील जीएसएम देशी मदिरा शराब 40 यूपी फोर सेल राजस्थान ओनली के मिलें थे। मौके पर ही रासायनिक परीक्षण के लिए नमूना सैम्पल एक पव्वा मार्क ए–01 अंकित किया और शेष पव्वों को प्लास्टिक के कट्टों में डालकर सील्ड पैक किया था। जप्त माल व मुल्जिम में थाना हाजा वापिस आये और जप्त माल जमा मालखाना करवाकर मुकदमा दर्ज करवाया। मुल्जिम को सन्तरी हवालात किया गया। एफआईआर प्रदर्श पी–01 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द जप्ती प्रदर्श पी–02 है जिस पर ए से डी गवाहान के हस्ताक्षर है, ई से एफ मुल्जिम के

हस्ताक्षर है, जी से एच उसके हस्ताक्षर है और एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है। फर्द नजरी नक्शा प्रदर्श पी–03 है जिस पर ए से डी गवाहान के हस्ताक्षर है, ई से एफ मुल्जिम के हस्ताक्षर है, जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी–04 फर्द गिरफ्तारी है जिस पर जिस पर ए से डी गवाहान के हस्ताक्षर है, ई से एफ मुल्जिम के हस्ताक्षर है, जी से एच उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी–05 सैम्पल तहरीर व जमा रसीद है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, एक्स स्थान पर नमूना सील अंकित है, सी से डी सैम्पल वाहक रूपसिंह के हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी–06 एफएसएल रिपोर्ट है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी–07 मूवमेन्ट रजिस्टर है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। प्रदर्श पी–08 मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है, सी से डी मालखाना इन्चार्ज सुमेर सिंह के हस्ताक्षर है तथा ई से एफ जमा मालखाना का नोट अंकित है। प्रदर्श पी–09 मुल्जिम गणेश का आपराधिक रिकॉर्ड है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। गवाह सुमेर सिंह, रूपसिंह के बयान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये गये। सम्पूर्ण तफ्तीश से मुल्जिम गणेश के विरूद्ध धारा 19/54 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चालान न्यायालय में पेश किया गया। चार्जशीट पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है।

अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह में गवाह ने कथन किया है कि जहां से मौके पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तब वहां आसपड़ोस के लोग कोई नहीं आये थे, आये थे लेकिन वहां से चले गये थे। गवाह ने यह सुझाव सही बताया कि गिरफ्तारी व जप्ती की कार्यवाही उसने मौके पर की थी थाने में नहीं की थी।

9.3 गवाह पी0डब्ल्यू0 2 रूप सिंह ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 22.10.2025 को थाना फुलेरा में सिपाही के पद पर तैनात था उस दिन रामचन्द्र प्रहराधिकारी आ.नि.दल फुलेरा मय जीप जाप्ता वह, सुमेर सिंह, बलवीर गश्त करते हुए पिथ्यावास गुर्जरों की ढाणी पहुंचे वहां एक व्यक्ति प्लास्टिक का कटटा लिये सड़क किनारे दिखायी दिया जो हमें बावर्दी देखकर घबराया और भागने की कोशिश करने लगा और भागने में असफल रहा और हमनें मुल्जिम को जाप्ते की मदद से पकड़ा, स्वतंत्र गवाह के अभाव में उसे तथा सुमेर सिंह को गवाह बनाया गया। पकडे हुए व्यक्ति को उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम गणेश गुर्जर पुत्र श्योजी गुर्जर बताया मुल्जिम के पास जो प्लास्टिक का कटटा था उसे खोलकर देखा तो उसमें 26 पव्वे सादा देशी शराब के थे जो राजस्थान शुगर मिल ब्रांड के थे। जप्तशुदा शराब में से एक पव्वा नमूना सैंपल हेतु सील बंद अवस्था में लिया तथा बाकी 25 पव्वों को उसी प्लास्टिक के कटटे में बंद कर दिया तथा उस पर मार्का ए अंकित किया और सैंपल के पव्वे पर मार्का ए 1 अंकित किया मौके की कार्यवाही मौके पर पूर्ण की। फर्द जब्ती एवं बरामदगी प्रदर्श पी 02 है जिस ए से बी उसके हस्ताक्षर है। नक्शा मौका प्रदर्श पी 03 है जिस ए से बी उसके हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम गणेश की प्रदर्श पी 04 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। सैंपल तहरीर व जमा रसीद प्रदर्श पी 05 है जिस सी से डी उसके हस्ताक्षर है। एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 06 है। आमद रवानगी रजिस्टर प्रदर्श पी 07 है जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। जिरह अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा शून्य रही।

10.1 हस्तगत प्रकरण को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष को निम्न तीन बातें साबित करनी आवश्यक थी। प्रथम– बरामद शुदा पदार्थ अभियुक्त के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से बरामद किया गया। द्वितीय यह कि अभियुक्त के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से बरामदशुदा उक्त पदार्थ को अपने कब्जे में रखने बाबत् अभियुक्त के पास

कोई वैध लाईसेंस या अनुज्ञा पत्र नहीं था। तृतीय यह कि अभियुक्त के कब्जे से बरामदशुदा उक्त पदार्थ शराब है।

10.2 उक्त प्रथम व द्वितीय बिंदु कि ''बरामदशुदा पदार्थ अभियुक्त के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से बरामद किया गया है तथा अभियुक्त के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से बरामदशुदा उक्त पदार्थ को अपने कब्जे मे रखने बाबत अभियुक्त के पास कोई वैध लाईसेंस या अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समग्र दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया जावे तो हस्तगत प्रकरण का उद्भव फर्द जप्ती व बरामदगी प्रदर्श पी 2 के आधार पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 के आधार पर हुआ है। फर्द जप्ती व बरामदगी एक प्लास्टिक के कट्टे में 26 पव्वे प्रदर्श पी 2 दिनांक 22.10.2025 को समय 06.00 पीएम पर मौतबिरान गवाहान् रूप सिंह व सुमेर सिंह की उपस्थिति में जप्तीकर्ता रामचन्द्र द्वारा तैयार की गयी है। उक्त जप्तीकर्ता रामचंद्र गवाह पी0डब्ल्यू0 1 के रूप में परीक्षित हुआ है एवं जिन मौतबिरान गवाहान की उपस्थिति में उक्त फर्द जप्ती व बरामदगी प्रदर्श पी 2 तैयार की गयी है उक्त दोनों मौतबिरान गवाहान में से गवाह रूप सिंह पी0डब्ल्यू0 2 के रूप में परीक्षित हुआ हैं तथा गवाह सुमेर सिंह की मृत्यु होने के कारण साक्ष्य लेखबद्ध नहीं की जा सकी है। उक्त दोनों गवाहान पी0डब्ल्यू0 1 रामचंद्र, पी0डब्ल्यू0 2 रूप सिंह, प्रदर्श पी 2 फर्द जब्ती, प्रदर्श पी 3 नक्शा मौका, प्रदर्श पी 4 फर्द गिरफ्तारी, प्रदर्श पी 5 सैम्पल भेजने की तहरीर, प्रदर्श पी 6 एफएसएल रिपोर्ट, प्रदर्श पी 7 रोजनामचा रपट आमद रवानगी में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए मुख्य रूप से दिनांक 22.10.2025 को दौराने गश्त इलाका क्षेत्र करते हुए पिथ्यावास गुर्जरों की ढाणी सड़क के किनारे पहुंचने पर वहां पर एक व्यक्ति हाथ में एक प्लास्टिक का कट्टा पकड़ा होने, बावर्दी जाप्ते को देखकर कट्टे को वहीं पटककर भागने की कोशिश करने, जाप्ते की मदद से घेरा देकर पकड़े जाने, उक्त व्यक्ति का नाम पता पूछे जाने पर नाम गणेशलाल गुर्जर पुत्र श्योजी गुर्जर बताने, मौके पर स्वतंत्र गवाह की तलाश करने पर कोई स्वतंत्र गवाह नहीं मिलने, मौजूदा जाप्ते से गवाह मामूर कर कट्टे को चैक करने पर कट्टे में 26 पव्वे देशी सादा आरएसजीएसएम 40 यूपी 180 एम.एल. सीलबंद अवस्था में मिलने, जिसमें से मौके पर 1 पव्वा रासायनिक परीक्षण हेतु सैम्पल के लिए निकालकर ए01 मार्का कर अलग से सीलमोहर करने व शेष माल को उसी कट्टे में रखकर सील मोहर कर मार्का ए अंकित कर थाने में आकर जमा मालखाना करवाने एवं मौके पर फर्द जप्ती व बरामदगी कर प्रदर्श पी 2 तैयार करने, नजरी नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाये जाने के अभिकथन किये हैं तथा दस्तावेजात प्रदर्श पी 2 लगायत प्रदर्श पी 7 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना अभिकथित कर प्रदर्शित करवाये हैं।

इस प्रकार उपरोक्त दोनों गवाहान पी0डब्ल्यू0 1 रामचन्द्र, पी0डब्ल्यू0 2 रूपसिंह अपने मुख्य परीक्षा में किये गये सशपथ कथनों तथा फर्दात के संबंध में अखण्डित रहे हैं तथा अभियुक्त की पहचान के सम्बन्ध में भी दौराने जिरह गवाह पी0डब्ल्यू0 1 रामचन्द्र अखण्डित रहा है तथा गवाह पी0डब्ल्यू0 रूपसिंह से अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष फर्द जब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी 2 व एफ.आई.आर. प्रदर्श पी 1 में वर्णित तथ्यों को पूर्णतया साबित करने में सफल रहा है।

10.3 इसी प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के कब्जे से 26 पव्वे आम कच्चा रास्ता ग्राम पीथ्यावास से ढाणी गुर्जरों की श्योजीराम के मकान के नजदीक ग्राम पीथ्यावास पर जप्त किया जाना अपनी एफ.आई.आर. प्रदर्श

पी 1 व फर्द बरामदगी प्रदर्श पी 2 में अंकित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 3 का अवलोकन किया जावे तो, उक्त नक्शा मौका घटना स्थल दिनांक 22.10.2025 को समय 06:00 पी.एम. पर स्थान आम कच्चा रास्ता ग्राम पीथ्यावास से ढाणी गुर्जरों की श्योजीराम के मकान के नजदीक ग्राम पीथ्यावास पर मौतबिरान गवाह रूप सिंह व सुमेर सिंह की उपस्थिति में बना हुआ है। जिसमें पीथ्यावास से गुर्जरों की ढाणी जाने वाले रास्ते पर एक्स मार्क से जप्ती स्थल दर्शाया गया है जहां पर अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के कब्जे से उपरोक्त अवैध शराब बरामद कर कब्जा राज लिया गया। नक्शा मौका घटना स्थल के मौतबिरान गवाह पी0डब्ल्यू0 2 रूप सिंह व जप्तीकर्ता पी0डब्ल्यू0 1 रामचंद्र ने नजरी नक्शा मौका घ टना स्थल प्रदर्श पी 3 पर अपने हस्ताक्षर होने के कथन अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में किये हैं। नजरी नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 3 बनाये जाने के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह पी0डब्ल्यू0 02 रूप सिंह से कोई जिरह नहीं की गयी तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह के दौरान गवाह पी0डब्ल्यू0 1 रामचंद्र से बरामदगी स्थल का नजरी नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाये जाने के तथ्यों के विरोधाभासी कोई भी कथन नहीं किये हैं। उक्त नजरी नक्शा बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 3 बनाये जाने के तथ्य अखण्डित रहे हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी 3 को साबित करने में सफल रहा है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह पी0डब्ल्यू0 1 रामचंद्र व पी0डब्ल्यू0 2 रूप सिंह ने दिनांक 22.10.2025 को जरिये फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 के अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर को गिरफ्तार करने के अभिकथन किये हैं। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 का अवलोकन किया जाये तो उक्त फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 दिनांक 22.10.2025 को समय 06:20 पी.एम. पर मौतबिरान गवाह पी0डब्ल्यू0 1 रामचंद्र व पी0डब्ल्यू0 2 रूप सिंह की उपस्थिति में तैयार की गयी है। उक्त फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 के मौतबिरान गवाह पी0डब्ल्यू0 1 रामचंद्र व पी0डब्ल्यू0 2 रूप सिंह, फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 पर अपने हस्ताक्षर होने के कथन अपने सशपथ मुख्य परीक्षा में किये हैं। अभियुक्त गणेशलाल गुर्जर को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा गवाह पी0डब्ल्यू0 02 रूप सिंह से कोई जिरह नहीं की गयी तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गयी जिरह के दौरान गवाह पी0डब्ल्यू0 1 रामचंद्र से अभियुक्त की गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 बनाये जाने के तथ्यों के विरोधाभासी कोई भी कथन नहीं किये हैं। उक्त फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 पर अखण्डित रहे हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 को साबित करने में सफल रहा है। जिससे अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर को गिरफ्तार किये जाने के तथ्य अखण्डित रहे हैं। ऐसे में अभियोजन पक्ष फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी 4 को साबित करने में सफल रहा है।

10.4 इस प्रकार उपरोक्त गवाहान् पी.डब्ल्यू 1 रामचंद्र, पी.डब्ल्यू. 2 रूप सिंह अपने सशपथ बयानों में इस तथ्य पर अखण्डित रहे कि दिनांक 22.10.2025 को अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के अनन्य व सचैतन्य कब्जे के 26 पव्वे अवैध शराब के बिना लाइसेंस अनुज्ञा पत्र के आम कच्चा रास्ता ग्राम पीथ्यावास से ढाणी गुर्जरों की श्योजीराम के मकान के नजदीक ग्राम पीथ्यावास पर बरामद किये गये। इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से 26 पव्वों की बरामदगी की गयी। जिनको अपने अनन्य व सचैतन्य कब्जे में रखने बाबत कोई अनुज्ञा पत्र अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के पास नहीं था।

10.5 उक्त तृतीय बिंदु कि अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से बरामदशुदा उक्त पदार्थ शराब ही था, के बाबत् पत्रावली का अवलोकन करें तो अभियोजन पक्ष के अनुसार अभियुक्त के अनन्य व सचैतन्य कब्जे में 26 पव्वे सील अवस्था में देशी शराब के मिले। जिसमें से 1 पव्वा बतौर सैम्पल मार्क **ए01** अंकित किया जाकर पृथक से सील मोहर किया गया तथा शेष बचे 25 पव्वों को उसी कट्टे में डालकर मार्क ए अंकित कर सीलमोहर किया गया। गवाह पीडब्ल्यू0 01 रामचंद्र व पी.डब्ल्यू 2 रूप सिंह ने अपने मुख्य परीक्षण में सशपथ अभियोजन पक्ष के उपरोक्त तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यही अभिकथन किये हैं कि अभियुक्त के कब्जे से 26 पव्वों में से 1 पव्वा बतौर सैम्पल लेकर मार्का ए01 अंकित कर अलग से सीलमोहर करने तथा शेष बचे 25 पव्वों को उसी कट्टे में डालकर मार्क ए अंकित कर सीलमोहर कर जरिये फर्दजब्ती व बरामदगी प्रदर्श पी 2 जब्त किया गया एवं प्रकरण के उक्त जप्तशुदा पव्वों को मालखाने में जमा करवाया गया। मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्श पी 8 पर ए से बी गवाह/प्रहराधिकारी/थानाधिकारी आबकारी निरोधक दल थाना फुलेरा रामचंद्र के व सी से डी मालखाना इंचार्ज सुमेर सिंह के हस्ताक्षर होने का कथन किया है। अधिवक्ता अभियुक्त ने गवाह पी0डब्ल्यू0 1 रामचंद्र व पी0डब्ल्यू0 2 रूप सिंह से जप्तशुदा माल को मालखाना में जमा करवाये के संदर्भ में कोई भी प्रतिपरीक्षण नहीं किया है। ऐसे में गवाह पी0डब्ल्यू0 1 रामचंद्र व पी0डब्ल्यू0 2 रूप सिंह द्वारा जप्तशुदा पव्वों को मालखाने में जमा करवाये जाने के तथ्य अखण्डित रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 8 का अवलोकन किया जावे तो उक्त मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 8 में अभियोग संख्या 33/2025–26 में कुल 26 पव्वों में से 1 पव्वा रासायनिक जांच हेतु निकाल के मार्क ए1 अंकित कर शेष बचे 25 पव्वे आरएसजीएसएम देशी मदिरा 40 यूपी प्रत्येक 180 एम.एल. फोर सेल इन राजस्थान ओनली के सीलबंद अवस्था में भरे उसी प्लास्टिक कट्टे में ही रख कर मार्का ए अंकित कर हस्ताक्षरशुदा चिट्टों से सील मोहर चस्पा कर मालखाने में दिनांक 22.10.2025 को प्राप्त होने का इन्द्राज है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष यह साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के कब्जे के कट्टे से बरामद पव्वों को मालखाने में रखवाया गया था। तत्पश्चात् पत्रावली पर अभियोजन साक्ष्य का आगे अवलोकन किया जाये तो गवाह पी0डब्ल्यू0 01 रामचंद्र नमूना सैम्पल भेजने की रसीद प्रदर्श पी 6, एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी 7, रोजनामचा रपट आमद रवानगी प्रदर्श पी 8 पर प्रहराधिकारी के हस्ताक्षर होने के अभिकथन अपनी मुख्य परीक्षा में किये हैं। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उपरोक्त तथ्यों के सन्दर्भ में कोई प्रतिपरीक्षा गवाह से नहीं की है। ऐसे में उक्त तथ्य अखण्डित रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी 5 सेम्पल भेजने की रसीद क्रमांक 411 दिनांक 03.11.2025 के अनुसार पत्र क्रमांक F-32(B)(81)EX/L2018Loose-01566/1227 दिनांक 10.10.2024 के माध्यम से राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लि. पव्वा मार्क ए01 180 एम.एल. सीलबंद अवस्था में प्राप्त किये जाने बाबत् अंकन है। पत्रावली पर उपलब्ध एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 का अवलोकन किया जावे तो एफ.एस.एल. रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 के क्रमांक आब/प्रयोग/25–26/SA-(0)1550 दिनांक 03.11.2025 में आदेश पत्र क्रमांक F32(B)81 Loose01566/1227 दिनांक 10.10.2024 की अनुपालना में प्रहराधिकारी आबकारी निरोधक दल फुलेरा के पत्र क्रमांक 411 दिनांकित 03.11.2025 के माध्यम से एक नमूना देशी (Intact) जिस पर नमूना सील पायी गई उक्त नमूना मार्क ए01 में इथाइल एल्कोहल पायी गयी। जिसका कोई भी खण्डन अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा जिरह के दौरान नहीं हुआ है। इस प्रकार अभियोजन

पक्ष यह तथ्य संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के अनन्य व सचैतन्य कब्जे के कट्टे में से बरामदशुदा उक्त पदार्थ शराब ही थी।

11. इसके अतिरिक्त जहां तक अधिवक्ता अभियुक्त का यह तर्क रहा है कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से जो गवाहान पेश कराये गये है वे सभी पुलिसकर्मी हैं तो इस सम्बन्ध में न्यायालय का मत है कि गवाह की साक्ष्य पर महज इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वह पुलिसकर्मी है विशेषतः उस दशा में जब गवाहान की साक्ष्य पूर्णतः अखण्डित रही है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण में गवाहान की साक्ष्य पूर्णतः अखण्डित रही है।

12. इस प्रकार अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर अभियोजन पक्ष यह तथ्य साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है कि दिनांक 22.10.2025 को समय 06:00 पी.एम. पर आम कच्चा रास्ता ग्राम पीथ्यावास से ढाणी गुर्जरों की श्योजीराम के मकान के नजदीक ग्राम पीथ्यावास पर अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के अनन्य व सचैतन्य कब्जे से 26 पव्वे आरएसजीएसएम देशी मदिरा शराब 40 यूपी पेठ 18 एलएल के बरामद किये गये, जिन्हें अपने पास रखने या परिवहन करने बाबत् कोई वैध अनुज्ञा पत्र या लाईसेंस अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर के पास नहीं था। अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोपित अपराध को संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है जिसके परिणामतः अभियुक्त आरोपित अपराध में दोषसिद्ध घोषित किए जाने योग्य पायी जाती है।

आदेश

13. परिणामतः अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर पुत्र श्योजीराम गुर्जर निवासी ढाणी गुर्जरों की ग्राम पीथ्यावास पीएस नरैना जिला जयपुर को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषी पाये जाने पर दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

(श्वेता मीना)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर।

सजा के बिन्दु पर

14.1 सजा के बिन्दु पर दोनों पक्षों को सुना गया। अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा निवेदन किया गया कि अभियुक्त को पूर्व में किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्ध घोषित नहीं किया गया है तथा ना ही अभियुक्त ने पूर्व में परिवीक्षा अधिनियम के तहत परिवीक्षा का लाभ लिया है जिस संदर्भ में पृथक से शपथ पत्र भी पेश किया गया है। अतः अभियुक्त को परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। जिसका सहायक अभियोजन अधिकारी ने विरोध किया।

14.2 उपरोक्त तर्कों पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियुक्त को पूर्व में किसी अन्य प्रकरण में दोषसिद्ध घोषित करने या अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभियोजन पक्ष द्वारा भी पेश नहीं किया गया है तथा पूर्व में परिवीक्षा का लाभ नहीं लिये जाने के संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को तत्काल कारावास से दण्डित करने की बजाय परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>दण्डादेश</u>

15.1 परिणामतः अभियुक्त गणेश लाल गुर्जर पुत्र श्योजीराम गुर्जर निवासी ढाणी गुर्जरों की ग्राम पीथ्यावास पीएस नरैना जिला जयपुर को धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम के अपराध के आरोप में दोषसिद्ध किया जाकर अभियुक्त को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत इस शर्त पर पाबन्द कर रिहा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं कि अभियुक्त एक वर्ष की अवधि तक शान्ति, सद्व्यवहार व नेकचलनी से जीवन यापन करेगा, इस अवधि में किसी प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा, जब भी इस अवधि में न्यायालय दण्ड भुगतने के लिये आहूत करेगा तो उपस्थित हो जावेगा। इस हेतु अभियुक्त धारा 4 के तहत **10,000/–** रुपये का स्वयं का मुचलका एक वर्ष की अवधि के लिए तथा इसी स्तर की एक विश्वसनीय जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करावे तथा धारा 5 परिविक्षा अधिनियम के तहत 800/– रुपये अक्षरे आठ सौ रुपये अभियोजन व्यय के भी न्यायालय में जमा करावे तो परिवीक्षा पर रिहा किया जावे।

15.2 अभियुक्त के पूर्व में उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके नियमानुसार निरस्त समझे जावे।

15.3 अभियुक्त को धारा धारा 481 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (437–ए द.प्र.सं.) के तहत अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000/– रुपये का स्वयं मुलचका पेश कर तस्दीक करवाने के आदेश दिए जाते हैं। अपील प्रस्तुत न होने की दशा मे उक्त जमानत मुचलके 06 माह की अवधि के पश्चात स्वतः ही उन्मोचित समझे जावे।

15.4 प्रकरण में जब्तशुदा शराब व सैम्पल बाद गुजरने मियाद अपील/निगरानी, अपील/निगरानी नहीं होने की दशा में नियमानुसार निस्तारित किये जाने के संदर्भ में तहरीर जारी हो।

(श्वेता मीना)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर

16. यह निर्णय आज दिनांक 07.08.2026 को लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व मुद्रा सरे इजलास सुनाया गया।

(श्वेता मीना)
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सांभरलेक, जिला जयपुर